BIADA

प्रबंध निदेशक, बियाडा की अध्यक्षता में दिनांक 10.04.19 को आयोजित परियोजना समाशोधन समिति(पी.सी.सी.) बैठक की कार्यवाही

उपस्थिति:-

1. श्री एस.पी. रॉय, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्, पटना के प्रतिनिधि।
2. श्री जी0 पी0 सिंह, उपाध्यक्ष, बिहार इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन, पटना।
3. श्री सुभाष पटवारी, उपाध्यक्ष, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इण्ड0, पटना।
4. श्री भोगेन्द्र लाल, कार्यकारी निदेशक, बियाडा पटना।
5. श्री संतोष कुमार सिन्हा, कार्यकारी निदेशक, बियाडा दरभंगा।
6. श्री विमल कुमार, कार्यकारी निदेशक (प्र0), बियाडा, भागलपुर।
7. श्री सौम्य वर्मा, कार्यकारी निदेशक (प्र0), बियाडा, मुजफ्फरपुर।

कार्यवाही

दिनांक 01 से 31 मार्च, 2019 तक भू-आवंटन हेतु क्षेत्रीय कार्यालय, पटना अन्तर्गत 09, दरभंगा के लिए 02, मुजफ्फरपुर के लिए 01 एवं भागलपुर के लिए 02 अर्थात कुल 14 ऑन-लाईन आवेदन प्राप्त हुआ। समिति द्वारा इन सभी आवेदनों की समीक्षा की गई, जो इस प्रकार है:-

1. सर्वश्री आयुष इंटरप्राईजेज, विकास केन्द्र, गिद्धा:- इनके द्वारा Cup, Sup, Mag etc के उद्योग की स्थापना हेतु प्लॉट संख्या-A-5 (P), A-6 & A-7 रकवा-21000 वर्गफीट भूमि आवंटन हेतु आवेदन दिया गया है। उद्यमी द्वारा प्रस्तावित उत्पाद का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन अपलोड नहीं किया गया है।

   निर्णय:- अतएव, समिति द्वारा सम्यक विचार-विमर्श के उपरांत इनके आवेदन को अस्वीकृत करने की अनुशंसा की गई।

2. सर्वश्री के0 के0 इण्डस्ट्रीज, वृहत औद्योगिक प्रांगण, बरारी, भागलपुर:- इनके द्वारा Non-woven Fabric Bags (Polythene Bags Substitute) के उद्योग की स्थापना हेतु प्लॉट संख्या-D-51 (P), Part-2, रकवा-4860 वर्गफीट भूमि आवंटन हेतु विहित प्रपत्र में आवेदन दिया गया है। आवंटन हेतु निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, इन्हें कुल 68 अंक प्राप्त हुए है।

निर्णय:- समिति द्वारा सम्यक विचार-विमर्श एवं परियोजना प्रतिवेदनन के जाँचोपरांत वृहत औद्योगिक प्रांगण, बरारी, भागलपुर में प्लॉट संख्या-D-1 (P), Part-2, रकवा-4860 वर्गफीट भूमि आवंटित करने की अनुशंसा की गई।

3. सर्वश्री इंडियन बेकरी उद्योग, औद्योगिक क्षेत्र, औरंगाबाद:- इनके द्वारा Bakery, Bread & Biscuits के उद्योग की स्थापना हेतु प्लॉट संख्या-N.S-12 रकवा-8000 वर्गफीट भूमि आवंटन हेतु विहित प्रपत्र में आवेदन दिया गया है। इनसे सुक्ष्म श्रेणी में भू-आवंटन हेतु आवेदन प्राप्त हुआ है। सुक्ष्म श्रेणी में अधिकतम 5000 वर्गफीट भूमि आवंटन करने का प्रावधान है।

   निर्णय:- अतएव, समिति द्वारा सम्यक विचार-विमर्श के उपरांत इनके आवेदन को अस्वीकृत करने की अनुशंसा की गई।

4. सर्वश्री पैशन फूड उद्योग अण्डर पैशन स्कील प्रा0 लि0, औद्योगिक क्षेत्र, औरंगाबाद:- इनके द्वारा Primary Processing unit of Honey के उद्योग की स्थापना हेतु प्लॉट संख्या-N.S-12 रकवा-8000 वर्गफीट भूमि आवंटन हेतु विहित प्रपत्र में आवेदन दिया गया है। आवंटन हेतु निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, इन्हें कुल 71 अंक प्राप्त हुए है।

   निर्णय:- समिति द्वारा सम्यक विचार-विमर्श एवं परियोजना प्रतिवेदनन के जाँचोपरांत औद्योगिक क्षेत्र, औरंगाबाद में प्लॉट संख्या-N.S-12, रकवा-8000 वर्गफीट भूमि आवंटित करने की अनुशंसा की गई।

5. सर्वश्री मिथिला इंटरप्राईजेज, औद्योगिक क्षेत्र, पण्डॉल, मधुबनी:- इनके द्वारा Tractor Trailor, Thresher, Rotavator, Cultivator, M.B Plough, Chaff Cutting etc के उद्योग की स्थापना हेतु प्लॉट संख्या-1 रकवा-10890 वर्गफीट भूमि आवंटन हेतु विहित प्रपत्र में आवेदन दिया गया है। आवंटन हेतु निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, इन्हें कुल 55 अंक प्राप्त हुए है, जो निर्धारित अहर्त्ता से कम है।

   निर्णय:- अतएव, समिति द्वारा सम्यक विचार-विमर्श के उपरांत इनके आवेदन को अस्वीकृत करने की अनुशंसा की गई।

6. सर्वश्री राजधानी फूड प्रोडक्ट्स, विकास केन्द्र, गिद्धा:- इनके द्वारा Flour Chokar, Whole Wheat Flour Mill के उद्योग की स्थापना हेतु प्लॉट संख्या-A-5 (P), A-6 & A-7 रकवा-21000 वर्गफीट भूमि आवंटन हेतु विहित प्रपत्र में आवेदन दिया गया है। आवंटन हेतु निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, इन्हें कुल 63 अंक प्राप्त हुए है।

निर्णयः- समिति द्वारा सम्यक विचार-विमर्श एवं परियोजना प्रतिवेदनन के जाँचोपरांत विकास केन्द्र, गिद्धा में प्लॉट संख्या-A-5 (P), A-6 & A-7, रकवा-21000 वर्गफीट भूमि आवंटित करने की अनुशंसा की गई।

7. सर्वश्री वैष्णवी जल, औद्योगिक प्रांगण, बिहारशरीफः- इनके द्वारा Packaged Drinking Water के उद्योग की स्थापना हेतु प्लॉट संख्या-Near Biada Office रकवा-87120 वर्गफीट भूमि आवंटन हेतु विहित प्रपत्र में आवेदन दिया गया है। इकाई का प्रस्तावित उत्पाद औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के प्राथमिक क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं आता है।

   निर्णयः- अतएव, समिति द्वारा सम्यक विचार-विमर्श के उपरांत इनके आवेदन को अस्वीकृत करने की अनुशंसा की गई।

8. सर्वश्री आदिल ट्रेडर्स, औद्योगिक क्षेत्र, फॉरबिसगंजः- इनके द्वारा Food Processing unit for production of masala powder, Besan, Sattu & Soyabari के उद्योग की स्थापना हेतु प्लॉट संख्या-59 रकवा-10890 वर्गफीट भूमि आवंटन हेतु विहित प्रपत्र में आवेदन दिया गया है। आवंटन हेतु निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, इन्हें कुल 52 अंक प्राप्त हुए है, जो निर्धारित अहर्त्ता से कम है।

   निर्णयः- अतएव, समिति द्वारा सम्यक विचार-विमर्श के उपरांत इनके आवेदन को अस्वीकृत करने की अनुशंसा की गई।

9. सर्वश्री पाटलीपुत्रा पॉलिमर्स प्रा0 लि0, औद्योगिक क्षेत्र, फतुहाः- इनके द्वारा Multi Layer Films (Packaging materials for the production of pasteurized milk, ghee, paneer etc के उद्योग की स्थापना हेतु प्लॉट संख्या-N.S, A-3 (Phase-III), रकवा-55757 वर्गफीट भूमि आवंटन हेतु विहित प्रपत्र में आवेदन दिया गया है। पूर्व के उद्यमी द्वारा अपीलीय न्यायालय के पारित आदेश विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में वाद दायर किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त वाद में में Stay Order लगाया गया है।

   निर्णयः- अतएव, समिति द्वारा सम्यक विचार-विमर्श के उपरांत इनके आवेदन को अस्वीकृत करने की अनुशंसा की गई।

10. सर्वश्री जॉनसन पेंट्स प्रा0 लि0, औद्योगिक क्षेत्र, फतुहाः- इनके द्वारा Manufacturing of Cement Paint, Wall Putty, Liquid Paint, Enamel, Emulsion, Primer के उद्योग की स्थापना हेतु प्लॉट संख्या-A-4 (Phase-I), रकवा-30000 वर्गफीट भूमि आवंटन हेतु विहित प्रपत्र में आवेदन दिया गया है। इकाई का प्रस्तावित उत्पाद औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के प्राथमिक क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं आता है।

निर्णयः- अतएव, समिति द्वारा सम्यक विचार-विमर्श के उपरांत इनके आवेदन को अस्वीकृत करने की अनुशंसा की गई।

11. सर्वश्री इकोभेटा सॉल्युशन प्रा0 लि0, औद्योगिक क्षेत्र, पण्डॉल, मधुबनी:- इनके द्वारा PVC Pipes के उद्योग की स्थापना हेतु प्लॉट संख्या-122 (P II), 124 (P) & 126, रकवा-56000 वर्गफीट भूमि आवंटन हेतु विहित प्रपत्र में आवेदन दिया गया है। आवंटन हेतु निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, इन्हें कुल 37 अंक प्राप्त हुए हैं।

निर्णयः- अतएव, समिति द्वारा सम्यक विचार-विमर्श के उपरांत इनके आवेदन को अस्वीकृत करने की अनुशंसा की गई।

12. सर्वश्री कृपा राईस मिल, विकास केन्द्र, गिद्धा:- इनके द्वारा Parabolic Rice Mill के उद्योग की स्थापना हेतु प्लॉट संख्या-N.S-14 (P) & N.S-15, रकवा-54450 वर्गफीट भूमि आवंटन हेतु विहित प्रपत्र में आवेदन दिया गया है। आवंटन हेतु निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, इन्हें कुल 68 अंक प्राप्त हुए हैं।

निर्णयः- समिति द्वारा सम्यक विचार-विमर्श एवं परियोजना प्रतिवेदन के जाँचोपरांत विकास केन्द्र, गिद्धा में प्लॉट संख्या-N.S-14 (P) & N.S-15, रकवा-54450 वर्गफीट भूमि आवंटित करने की अनुशंसा की गई।

13. सर्वश्री बिहार ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स मैन्युफैक्चरर्स एसोशिएसन, औद्योगिक क्षेत्र, हाजीपुर:- इनके द्वारा Cluster Pharmaceutical के उद्योग की स्थापना हेतु प्लॉट संख्या-A-2 (P), B-58 to 63 & B-31 (P) to 37 (P), रकवा-244980 वर्गफीट भूमि आवंटन हेतु विहित प्रपत्र में आवेदन दिया गया है। आवंटन हेतु निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, इन्हें कुल 33 अंक प्राप्त हुए हैं।

निर्णयः- अतएव, समिति द्वारा सम्यक विचार-विमर्श के उपरांत इनके आवेदन को अस्वीकृत करने की अनुशंसा की गई।

14. सर्वश्री रूबी राहुल राईस मिल, विकास केन्द्र गिद्धा:- इनके द्वारा Parabolic Rice Mill के उद्योग की स्थापना हेतु प्लॉट संख्या-N.S-14 (P) & N.S-15 रकवा-54450 वर्गफीट भूमि आवंटन हेतु विहित प्रपत्र में आवेदन दिया गया है। आवंटन हेतु निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, इन्हें कुल 62 अंक प्राप्त हुए हैं। क्रमांक-12 पर अंकित सर्वश्री कृपा राईस मिल द्वारा भी इसी प्लॉट हेतु आवेदन किया गया है, उन्हें 68 प्राप्त हुए है, जो इनसे अधिक है।

निर्णय:- अतएव, समिति द्वारा सम्यक विचार-विमर्श के उपरांत इनके आवेदन को अस्वीकृत करने की अनुशंसा की गई।

अन्यान्य

1. बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड (बुडको), कटिहार द्वारा बिहार सरकार के सात निश्चय योजनान्तर्गत हर घर नल का जल योजना के कार्यान्वयन हेतु जलमिनार के निर्माण हेतु औद्योगिक प्रांगण, कटिहार में 10000 वर्गफीट भूमि की मांग की गई।

   बियाडा निदेशक पर्षद की 58वीं बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड बुडको, कटिहार को जलमिनार के निर्माण हेतु 10000 वर्गफीट भूमि, **Plot No. 18 (P)** आवंटित कर दिया गया है।

   निर्णय:- अतएव, समिति द्वारा उक्त आवंटन पर घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।

2. प्राधिकार अंतर्गत अवस्थित औद्योगिक क्षेत्रों/प्रांगणों/विकास केन्द्रों के बेहतर रख-रखाव हेतु कुल 52 औद्योगिक क्षेत्रों/प्रांगणों/विकास केन्द्रों में से 33 स्थानों पर औद्योगिक क्षेत्र प्रबंधन समिति (IAMC) का गठन किया जाना है। उक्त हेतु तीन चरणों का चुनाव संपन्न हो जाने के उपरांत भी नॉमिनेशन प्राप्त नहीं होने के कारण मात्र तीन स्थानों पर ही औद्योगिक क्षेत्र प्रबंधन समिति (IAMC) का गठन हो पाया है। शेष स्थानों पर औद्योगिक क्षेत्र प्रबंधन समिति (IAMC) के गठन हेतु निर्णय लिया गया कि सभी क्षेत्रीय कार्यालय के कार्यकारी निदेशक अपने अधीनस्थ औद्योगिक क्षेत्रों में भ्रमण करने का कार्यक्रम तैयार करें। कार्यक्रम के अनुसार निर्धारित तिथि को औद्योगिक क्षेत्रों में उपस्थित होकर क्षेत्र के उद्यमियों के साथ इस संबंध में उनसे स्थल पर ही IAMC के सदस्य बनने हेतु सहमति प्राप्त करते हुए IAMC के गठन करने की कार्रवाई की जाय।

3. बियाडा अंतर्गत स्थापित एक इकाई द्वारा प्राधिकार से खाद्य प्रसंस्करण परियोजना के स्थापना के लिए निवेशको से प्राप्त निवेश प्रस्ताव को उनके आवंटित फूड पार्क में स्थापित किये जाने हेतु प्रोत्साहित करने का अनुरोध किया गया है।

   निर्णय:- समिति द्वारा सम्यक विचार विमर्श के क्रम में पाया गया कि इकाई का यह निजी मामला है। प्राधिकार द्वारा निवेशकों से प्राप्त निवेश प्रस्ताव को उनके इकाई

के आवंटित भूखंड पर स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतएव, समिति द्वारा उनके अनुरोध को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

ह0/- अध्यक्ष, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्, पटना के प्रतिनिधि।	ह0/- अध्यक्ष, बिहार इण्ड0 एसोसिएशन।	ह0/- अध्यक्ष, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स	ह0/- कार्यकारी निदेशक (प्र0) बियाडा, मुजफ्फरपुर
ह0/- कार्यकारी निदेशक (प्र0) बियाडा, भागलपुर	ह0/- कार्यकारी निदेशक, बियाडा, दरभंगा।	ह0/- कार्यकारी निदेशक, बियाडा, पटना।	ह0/- प्रबंध निदेशक, बियाडा, पटना।

ज्ञापांक 3455/D   दिनांक 27/05/19

प्रतिलिपि:- पी0सी0सी0 के सभी सदस्यों/वरीय लेखा पदाधिकारी, बियाडा, पटना/आई0 टी0 पदाधिकारी, बियाडा, पटना/कार्यपालक मीडिया, बियाडा, पटना/प्रभारी, प्रबंध निदेशक कोषांग, बियाडा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(signature) 27/5/19

कार्यकारी निदेशक।